आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अलीगढ़,जनपद :हाथरस,तहसील :सादाबाद
वाद संख्या :-2305/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202318340302305
गायत्री देवी एजुकेशन सोसाइटी जलेसर रोड सहपऊ द्वारा अध्यक्ष, बनाम उ0प्र0 सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

नकल निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदक गायत्री देवी एजूकेशनल सोसाइटी जलेसर रोड सहपऊ द्वारा अध्यक्ष श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी 1204 पिच पाम ए 12 वी फ्लोर ओमेक्स पाप ग्रेटर नोएडा कासना जिला गौतमबुद्धनगर का निवासी है प्रार्थी मौजा सहपऊ के खाता सं0 179 गाटा सं0 2511/0.522 है0 का एकल संक्रमणीय भूमिधर है। प्रार्थी गायत्री देवी ऐजूकेशन सोसाइटी रेलवे स्टेशन के पास सहपऊ हाथरस का अध्यक्ष है सोसाइटी के माध्यम से मौजा सहपऊ में श्रीराम हॉस्पीटल का संचालन भी किया जा रहा है प्रार्थी की सोसाइटी द्वारा उक्त मौजा सहपऊ के गाटा सं0 2511 में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना हेतु कार्यवाही संचालित है। उक्त गाटा सं0 में किसी तरह का कोई भी कृषि कार्य नही हो रहा है उस गाटा सं0 की चारों तरफ से बाउण्ड्री हो चुकी है उसे आबादी घोषित किया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि वैधानिक कार्यवाही करते हुए उपर्युक्त गाटा सं0 2511/0.522 है0 को आबादी घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थी के उक्त वाद पत्र के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार सादाबाद से प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में दायर प्रार्थना पत्र पर बिन्दुबार जॉच आख्या चाही गयी। तहसीलदार सादाबाद से जांच आख्या दिनांकः 24.06.2023 को न्यायालय में प्राप्त हुई। तहसीलदार सादाबाद की जॉच आख्या दिनांकः 24.06.2023 में मौजा सहपऊ तहसील सादाबाद के गाटा सं0 2511 रकबा 0.522 है0 लगानी 25.95 रू0 के स्वामी/आवेदक गायत्री देवी एजूकेशनल सोसाइटी जलेसर रोड सहपऊ द्वारा अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह निवासी 1204 पिच पाम ए 12 वी फ्लोर ओमेक्स पाम ग्रेटर नोएडा कासना जिला गौतमबुद्धनगर भूमि के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् प्रेषित की है:-

1. भूमि का प्रयोग आबादी के रूप में किया जाना प्रस्तावित है।
2. भूमि संस्थागत प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जा रही है।
3. भूमि में आवेदक के अलावा अन्य कोई सहखातेदारी नही है।
4. गाटा सं0 2511 के सम्पूर्ण भाग पर धारा 80 के अन्तर्गत उद्घोषणा की प्रार्थना की गयी है।
5. हॉ, भूमि कृषि से अतिरिक्त प्रयोजन में उपयोग हो रही है।
6. उ0प्र0 शासन औधोगिक वि0अ0-3 संख्या 1388/77-3-2022-275(एम) /15 लखनऊ दिनांक 02 नवम्बर,2022 के आधार पर भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्यौगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित ग्रामों में सम्मलित नहीं है।
7. प्रस्तावित भूमि किसी प्राधिकरण/विभाग द्वारा उद्घोषित महायोजना में सम्मलित नही है।
8. हॉ, भूमि चाहरदीवारी से घिरी है। फोटो संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner